देने हेतु प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है और इस प्रयोजन से 20 जून, 1990 को मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा की गई है । कुछ राज्यों द्वारा अपनी परियोजनाओं जिनकी कुल क्षमता 17258 मे0वा0हे0को0 निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर निजी क्षेत्र के उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा चुके है ।

एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए नीति

183. डा० बापू कालदाते :
श्रीमती मीरा दास :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आरक्षित श्रेणी" में प्रदत्त "एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप" को कुछ विशेष परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान में अन्तरित करने के लिए कोई प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार, ऐसे कितने स्थानांतरणों की अनुमति दी गई और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार, रक्षा श्रेणी के अधीन प्रदत्त डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के स्थानान्तरण के लिए अनुरोध पर विचार तभी किया जा सकता है जब सैनिकों की विधवाओं के मामले में उक्त डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन उनके पैतृक नगर से काफी दूर किया गया हो अथवा विकलांग रक्षा कार्मिक के मामले में बीमारी के आधार पर हो बशर्ते जिस शहर/क्षेत्र में परिवर्तन मांगा गया हो वहां अपेक्षित चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए ।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

वर्ष	डिस्ट्रीब्यूटर का नाम	जहां से स्थानान्तरित किया गया	जहां स्थानान्तरित किया गया
1988–89	मैसर्स अमृत एन्टरप्राइजेज	मुंगेर	दिल्ली
	मैसर्स विक्टरी गैस सर्विस	पिलानी	श्री गंगानगर
1989–90	मैसर्स आनन्द एन्टरप्राइजेज	अनन्तपुर	जालंधर
	मैसर्स रतन गैस एजेन्सी	शिलांग	दिल्ली
	मैसर्स आत्म गैस सर्विस	कुड्प्पा	लुधियाना
1990–91	मैसर्स जय जवान गैस सर्विस	राउरकेला	दिल्ली
	मैसर्स दशमेश एजेन्सी	देवगिरि	पंजाब
	मैसर्स श्री लक्ष्मी एन्टरप्राइजेज	रामागुन्डम	हैदराबाद